

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2025 /10139-10451 दिनांक: 22/8/25-  
आयुक्त/अधिशाली अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- बूचडखाने व मांस, मछली, अण्डे की दुकाने बंद करवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैन धर्म के पर्यूषण पर्व एवं संवत्सरी व अनन्त चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष में निम्न तिथि को राज्य के सभी बूचडखाने व मांस, मछली, अण्डे की दुकाने बंद रखा जाना सुनिश्चित करावे।

| पर्व                      | दिनांक     | वार     |
|---------------------------|------------|---------|
| पर्यूषण पर्व एवं संवत्सरी | 28.08.2025 | गुरुवार |
| अनन्त चतुर्दशी            | 06.09.2025 | शनिवार  |

  
(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)  
निदेशक

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2025/ 10452-10821 दिनांक: 22/8/25-  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
4. वरिष्ठ सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग, समस्त राज0।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर आई. टी. सेल निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी